

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/एएनएम/जीएनएम कोर्स/भरतपुर-जोन/2023/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमति कश्मीरा देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुम्हेर जिला भरतपुर को जीएनएम प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2022-23 निजी नर्सिंग स्कूल (श्री दिगम्बर स्कूल ऑफ नर्सिंग, जिला भरतपुर) से करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

शर्त:-

1. नियमानुसार स्वयं का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
2. यदि कर्मिका ने पूर्व में अध्ययन अवकाश का उपभोग किया है तो इन्हें अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
3. उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
4. कर्मिका प्रशिक्षण अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति की मांग नहीं करेगी।
5. प्रशिक्षण समाप्त होने पर कर्मिका तुरन्त अपने विभाग में उपस्थिति देगी अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6. कर्मिका प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदोन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगी।
7. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।
8. नियमानुसार बन्ध पत्र भरना होगा।

नोट:- उक्त कर्मियों में यदि कोई संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो उनके मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 28/08/23

क्रमांक:-नर्सिंग/एएनएम/जीएनएम कोर्स/भरतपुर-जोन/2023/292

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन भरतपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रुम उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director
Date: 27-08-2023 09:10:49